

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 871

दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मध्य-पूर्व में भारतीय कामगारों का कल्याण

871. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **विदेश**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य-पूर्व से आन्ध्र प्रदेश के कितने व्यक्तियों को स्वदेश वापस लाया गया है और उनके पुनर्वास के लिए वर्षवार क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और मध्य-पूर्व में भारतीय कामगारों के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय समुदाय कल्याण कोष(आईसीडब्ल्यूएफ)का कुल आबंटन कितना है और कितना उपयोग किया गया है तथा मध्य पूर्व में आंध्र प्रदेश के कामगारों के कल्याण हेतु उपयोग की गई धनराशि कितनी है और वर्षवार किए गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य-पूर्व में रोजगार चाहने वाले कामगारों के लिए चलाए गए कौशल विकास अथवा प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) विगत तीन वर्षों में मध्य पूर्व से स्वदेश वापस लाए गए भारतीयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय कामगारों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। कामगार विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद, सीपीग्राम, ई-माइग्रेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

संकटग्रस्त भारतीय श्रमिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

संकट या आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों में टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर सहित 24X7 हेल्पलाइन भी स्थापित की गई हैं और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में समर्पित श्रम शाखाएँ भी हैं जो श्रम शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करती हैं।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत जिन भारतीयों को सहायता प्रदान की गई है उनका डाटा अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

(ग) आईसीडब्ल्यूएफ के लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। आईसीडब्ल्यूएफ का स्रोत विदेश स्थित मिशनों में कौंसली सेवाओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है। आईसीडब्ल्यूएफ के लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है, तथापि, मध्य पूर्व में विगत पांच वर्षों के दौरान आईसीडब्ल्यूएफ के उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
भारतीय रूप में आई.सी.डब्ल्यू.एफ. का कुल उपयोग	8,58,90,543	7,13,63,876	7,46,93,666	8,33,51,742	12,44,41,156

(घ) जनवरी, 2018 में प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विदेश, विशेष रूप से खाड़ी और अन्य ईसीआर देशों में जाने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी कामगारों को एक दिवसीय निःशुल्क अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उन्हें गंतव्य देश के स्थानीय नियमों और विनियमों तथा उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि को समझने में मदद करना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रवासी कामगारों को सुरक्षित और वैध प्रवास के तरीकों के बारे में जागरूक भी किया जाता है तथा उनके कल्याण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों जैसे आईसीडब्ल्यूएफ, मदद, पीबीबीवाई आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018 में पीडीओटी कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,72,220 प्रवासी कामगारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है। पीडीओटी के लाभार्थियों की केंद्रवार सूची अनुबंध 'क' में संलग्न है।

अनुबंध-क

31 दिसंबर, 2024 तक पीडीओटी डेटा

क्रम सं.	केंद्र	पीडीओटी प्राप्त प्रवासियों की कुल संख्या
1	मुंबई-विदेश भवन	31880
2	मुंबई-विदेश ऑनलाइन	23175
3	मुंबई- एस्मैक्स स्किल-बी	49326
4	मुंबई- एस्मैक्स स्किल-बी	3970
5	दिल्ली- डॉन बॉस्को-ए	14713
6	दिल्ली- डॉन बॉस्को-ए	17
7	दिल्ली-ओरियन-बी	11022
8	कोच्चि-एस्पोइर	5088
9	लखनऊ-महिंद्रा	3335
10	लखनऊ-महिंद्रा ऑनलाइन	72
11	जयपुर-राजस्थान	1937
12	जयपुर-राजस्थान ऑनलाइन	607
13	हैदराबाद-टॉमकॉम ओवरसीज स्किल	2738
14	हैदराबाद-टॉमकॉम ओवरसीज स्किल (ऑनलाइन)	105
15	तेलंगाना-सरकारी आईटीआई कॉलेज करीमनगर	255
16	निजामाबाद-जिला रोजगार कार्यालय	512
17	आरएसएलडीसी, सीकर	1376
18	आरएसएलडीसी, सीकर ऑनलाइन	67
19	स्त्री, दरभंगा	195
20	स्त्री, गया	445
21	स्त्री, मुजफ्फरपुर	513

22	सी, पटना	734
23	सरकारी आईटीआई परिसर, विजयवाड़ा	3280
24	सरकारी आईटीआई परिसर, विजयवाड़ा (ऑनलाइन)	72
25	पीडीओटी केंद्र, कडपा	391
26	भारतीय उद्योग परिसंघ, चेन्नई	1682
27	आरएसएलडीसी, नागौर	142
28	आरसीईडी मोहाली	958
29	आईएलएंडएफएस स्किल्स-पीएमकेके, गोरखपुर	1756
30	तमिलनाडु पीडीओटी केंद्र	592
31	अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन केंद्र, कर्नाटक	914
32	पी.डी.ओ.टी. केंद्र, विशाखापत्तनम	22
33	पी.डी.ओ.टी. केंद्र, काकीनाडा	14
34	क्विन स्किल एम्पावरमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	668
35	लर्नेट.आईएस, कौडियार, तिरुवनंतपुरम	72
36	एसमैक्स स्किल डेवलपमेंट लिमिटेड, भुवनेश्वर	1147
37	एसमैक्स स्किल डेवप लिमिटेड, भुवनेश्वर, (ऑनलाइन)	95
38	लर्निंग इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स, जालंधर	379
39	डाटाप्रो, अमृतसर	15
40	क्रिप्स, भोपाल	0
41	चंपारण	7
42	वाराणसी	2984
43	वाराणसी (ऑनलाइन)	755
44	होशियारपुर	61
45	रूपनगर	2

46	लुधियाना	11
47	अमृतसर	6
48	जालंधर	11
49	बरनाला	2
50	वीएफएस ग्लोबल	4057
51	जीएमआर फाउंडेशन	42
52	विशाखापटनम	1
	पीडीओटी प्राप्त प्रवासियों की कुल संख्या	172220

आईसीडब्ल्यूएफ लाभार्थियों का विवरण
(विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)

	2020	2021	2022	2023	2024 (सितंबर 2024 तक)
भोजन एवं आवास	71879	20553	19182	15286	4777
आपातकालीन चिकित्सा सेवा	4804	1117	1162	279	75
फंसे हुए प्रवासी भारतीयों के लिए हवाई यात्रा	3146	2489	2142	1607	813
कानूनी सहायता	85	161	434	601	823
पार्थिव अवशेषों को हवाई मार्ग द्वारा ले जाना	297	422	507	433	350
प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को सहायता*	38	14	2	5	14
छोटे जुर्माने और दंड	69878	3734	992	747	141
कुल	150127	28490	24421	18958	6993